

**वित्त विभाग  
(कर अनुभाग)  
अधिसूचना  
जयपुर, मार्च 08, 2017**

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ. 12(23)एफडी/टैक्स/2015-206 दिनांक 09.03.2015 में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

**संशोधन**

उक्त अधिसूचना में,-

(i) खण्ड 3 के विद्यमान उप-खण्ड 3.1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“3.1.1 जहां व्यवहारी, खण्ड 2 के उप-खण्ड 2.1.1 के अधीन विहित समय के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने में असफल रहता है वहां उसे विलम्ब की माफी के लिए इस अधिसूचना से संलग्न प्ररूप सं.क.-3 में आवेदन के साथ, उसमें विलम्ब फीस के संदाय के ब्यौरे का उल्लेख करते हुए, नीचे उल्लिखित विलम्ब फीस के संदाय पर, आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा:

विलम्ब की कालावधि	विलम्ब फीस की रकम
संकर्म संविदा के अवाई किये जाने की तारीख से एक वर्ष तक	एक हजार रुपये
संकर्म संविदा के अवाई किये जाने की तारीख से एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष तक	पांच हजार रुपये।

3.1.2 जहां व्यवहारी, खण्ड 2 के उप-खण्ड 2.5 के अधीन विहित समय के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने में असफल रहता है वहां उसे, विलम्ब की माफी के लिए इस अधिसूचना से संलग्न प्ररूप सं.क.-3 में आवेदन के साथ, उसमें विलम्ब फीस के संदाय के ब्यौरे का उल्लेख करते हुए, नीचे उल्लिखित विलम्ब फीस के संदाय पर, आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा:

विलम्ब की कालावधि	विलम्ब फीस की रकम
अतिरिक्त कार्य की संसूचना या संविदा के मूल्य की वृद्धि की तारीख से एक वर्ष तक	एक हजार रुपये
अतिरिक्त कार्य की संसूचना या संविदा के मूल्य की वृद्धि की तारीख से एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष तक	पांच हजार रुपये।


”; और



- (ii) उक्त अधिसूचना से संलग्न प्ररूप सं.क.-3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "संकर्म संविदा के अवार्ड करने की तारीख" के स्थान पर अभिव्यक्ति "संकर्म संविदा के अवार्ड करने की तारीख या अतिरिक्त कार्य की संसूचना या, यथास्थिति, संकर्म संविदा के मूल्य की वृद्धि की तारीख" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-91]

राज्यपाल के आदेश से,

  
शंकर लाल कुमावत,  
संयुक्त शासन सचिव

**FINANCE DEPARTMENT  
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION  
Jaipur, March 08, 2017**

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No.4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby, with effect from 01.04.2015, makes the following amendments in this department's notification number F.12(23)FD/Tax/2015-206 dated 09.03.2015, as amended from time to time, namely:-

**AMENDMENTS**

In the said notification,-

- (i) the existing sub-clause 3.1 of clause 3 shall be substituted by the following, namely:-


“3.1.1 Where the dealer fails to submit the application within the time prescribed under sub-clause 2.1.1 of clause 2, he may be allowed to submit the same on payment of late fee mentioned below alongwith an application in Form WT-3 appended to this notification to condone the delay, mentioning therein the details of payment of late fee.

Period of delay	Amount of late fee
Upto one year from the date of award of works contract.	Rupees one thousand
More than one year but upto two years from the date of award of works contract.	Rupees five thousand

- 3.1.2 Where the dealer fails to submit the application within the time prescribed under sub-clause 2.5 of clause 2, he may be allowed to submit the same on payment of late fee mentioned below alongwith an application in Form WT-3 appended to this notification to condone the delay, mentioning therein the details of payment of late fee.

Period of delay	Amount of late fee
Upto one year from the date of communication of additional work or enhancement of value of the contract.	Rupees one thousand
More than one year but upto two years from the date of communication of additional work or enhancement of value of the contract.	Rupees five thousand


”;and



(ii) In Form WT-3, appended to said notification, for the existing expression "Date of award of works contract", the expression "Date of award of works contract or Date of communication of additional work or enhancement of value of works contract, as the case may be" shall be substituted.

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-91]

By order of the Governor,

  
(Shankar Lal Kumawat)  
Joint Secretary to the Government